सं0सं0–1 / एस०के०एम०सी०एच०–04 / 2012–.....15.....(1)ब0

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषकः– **संजय कुमार**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक–.....25.....अप्रैल, 2012

विषयः– श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 23,66,21,600/- मात्र (तेइस करोड़ छियासठ लाख इक्कीस हजार छः सौ रूपए) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को विपत्र कोड एन 2210011100008 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 23,66,21,600/- मात्र (तेइस करोड़ छियासठ लाख इक्कीस हजार छः सौ रूपए) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561 / वि०(2), दि०–17.04.98, 2880 / वि०(2), दि०–06.05.06, 96 / वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190 / वि०(2) दि०–17.03.08, 2938 / वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388 / वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर होगें तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होगें।

4. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

5. इस राशि के व्यय का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0008–श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, मांग संख्या 20, विपत्र कोड– एन 2210011100008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना आय व्ययक में संबंधित प्राथमिक ईकाइयों में उपबंधित राशि से की जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ–2

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

7. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्त्ते कि अधीक्षक बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

8. इस आवंटनादेश में अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 798 दिनांक 07.04.2012 द्वारा याचित एवं राज्यादेश संख्या 146(1), दिनांक 05.03. 2012 आवंटनादेश संख्या 118(1)ब0, दिनांक 12.03.2012 एवं अन्य आवंटनादेश द्वारा आवंटित राशि से संबंधित विपत्रों की विगत वित्तीय वर्ष में कोषागार द्वारा निकासी नहीं हो पाने के कारण विभिन्न प्राथमिक ईकाइयों में याचित आवंटन की राशि भी समाहित है ।

9. इस आवंटनादेश में मशीनों के मरम्मति एवं रख रखाव के लिए भी मशीनें एवं उपस्कर ईकाई में राशि समाहित है ।

10. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्मत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

11. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जाएगी।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1/एस०के०एम०सी०एच०–04/2012–.....15.(1)ब0/ पटना, दिनांक–25.अप्रैल, 2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/ जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल विपत्र कोड एन 2210011100008 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			
विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	82742000	74467800	8274200
01 03 जीवन यापन भत्ता	55438000	49894200	5543800
01 04 मकान किराया भत्ता	8207000	7386300	820700
01 06 चिकित्सा भत्ता	790000	711000	79000
01 07 अन्य भत्ता	1467000	1320300	146700
योग– वेतन एवं भत्ते	**148644000**	**133779600**	**14864400**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	200000	100000	100000
11 01 यात्रा व्यय	170000	85000	85000
13 01 कार्यालय व्यय	4000000	4000000	0
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	200000	100000	100000
13 03 दूरभाष	200000	100000	100000
13 04 विद्युत प्रभार	6000000	6000000	0
13 05 विधि प्रभार	100000	50000	50000
13 06 वर्दी/पोशाक	239000	119500	119500
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	50000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	5000000	5000000	0
21 02 दवा भण्डार	40000000	20000000	20000000
21 03 आहार/ पथ्य	12775000	6387500	6387500
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	25000000	0	25000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	80000000	40000000	40000000
34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा	11700000	5850000	5850000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	20000000	15000000	5000000
कुल योग :–	**354328000**	**236621600**	**117706400**

मात्र (तेइस करोड़ छियासठ लाख इक्कीस हजार छः सौ) रूपए

15(1)वि०
25-4-12

सरकार के संयुक्त सचिव।